PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Thursday 16th October 2014, Page: 7
Width: 5.72 cms, Height: 8.64 cms, a4, Ref: pmin.2014-10-16.41.56

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का स्पष्टीकरण

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने सफाई दी है कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमत तय करने की प्रक्रिया से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के निदेशक बीके सिंह का कहना है कि जिन दिशा निर्देशों के कारण मरीजों को परेशानी होने का उल्लेख किया गया है, उन्हें तय करने में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही जरूरी दवाओं के मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था अभी भी लागू है। कैंसर की जिस दवा गैफ्टीनेट का खबर में उल्लेख किया गया है उसके बारे में निदेशक ने माना है कि यह एक गैर अनुसूचित दवा है और एनपीपीए द्वारा इसका कोई मूल्य निर्धारित नही किया गया है।